नंदलाल पिता बद्रीलाल जाति धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ मृतक के बजायः–
1/1– श्रीमती एजनबाई पत्नी नन्दलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
1/2– भैरूलाल पिता नन्दलाल धाकड़ निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
1/3– प्रेमबाई पुत्री नन्दलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
1/4– सुमिता पुत्री नन्दलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1–सरजुबाई पत्नी घीसालाल जी जाति धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
2–नाराणी उर्फ नारू पुत्री घीसालाल जाति धाकड निवासी मंडावरी तह0बेगूँ
3–श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
4– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी प्रतिनिधि राजस्थान सरकार, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक ::– 04.01.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवकता श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम मंडावरी प0ह0 मंडावरी में वादी की कयशुदा कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। जिसके वर्तमतान आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर जो शमशान के नाम दर्ज रेकार्ड है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में अंकित उक्त भूमि के पुराने आराजी संख्या 1432मी. थे। उक्त आराजी संख्या 1432मी के अलग अलग टुकडे होकर नये नम्बर पडे पुराने आराजी संख्या 1432मी. जो कुल रकबा 6बीघा 8 बिस्था जिसमें से वादी के कब्जे की भूमि के नये नम्बर 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड होकर चली आ रही हैं।

यह कि वादी ने वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या एक के पति व दो के पिता से क्रय की है तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है उक्त भूमि पर अन्य किसी दीगर का कोई हक अधिकार दखल कब्जा नहीं है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या एक के पति व प्रतिवादी सं0 दो के पिता मृतक घीसालाल के कब्जे एवं उपयोग की थी मृतक घीसालाल का उक्त भूमि पर आज से करीब 60 वर्ष पूर्व से कब्जा चल आ रहा था वक्त सेटलमेंट भी उक्त भूमि पर मृतक घीसालाल का था जिसका विवरण मिलान खसरा सेटलमेन्ट में संवत 2028 के विशेष विवरण में नाम दर्ज है। इसी कब्जे के आधार पर मृतक घीसालाल ने उक्त भूम वादी को विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय बेचान की तब से ही वादी इस भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक में अकित उक्त भूमि वादी द्वारा मृतक घीसालाल से लगभग 40 साल पूर्व क्रय करने से आज दिवस तक निर्बाध रूप से बिना किसी रोकटोक शांति पूर्वक कब्जे आधिपत्य में निरंतर चली आ रही है एवं वादी के क्रय से पूर्व उक्त भूमि मृतक घीसालाल के कब्जे उपयोग उपभोग में थी उक्त आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि पर कभी भी भूमिधारी या सरकार का अर्थात प्रति[illegible] कब्जा नहीं रहा है। न ही वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई शमशान है वक्त सेटलमेन्[illegible] पुरा[illegible] से नये नम्बर बने तब सहवन से मृतक घीसालाल के कब्जे के साथ [illegible] जबकि वास्तविकता यह है कि वादी की इस भूमि पर कभी [illegible] जो शमशान की भूमि है वह हिस्से अनुसार बराबर मोके पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:21 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादपत्र की चरण संख्या एक में अंकित भूमि पर वादी व मृतक घीसालाल लगभग 60–70 वर्षो से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे थे जिससे प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वादी अधिकारी है। यह कि वादी से गांव के कुल व्यक्ति रजिश रखते हे इस कारण आये दिन अन्य लोगो के कहते है कि हम वादी का

खातेदारी अधिकार की घोषणा करपाने का वैद्य अधिकारी हे।

यह कि दिनांक 30.12.2019 को पटवाहरी हल्का व अन्य कर्मचारी एवं सरपंच के द्वारा वादी की भूमि के आस पास की भूमि का नाम चोप किया तब वहां उपस्थित कुल लोगों ने वादी को बताया कि तेरी भूमि पर सरकार कब्जा करेगी इससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 लोक सेवक होकर राज्य सरकार के प्रतिनिधी है इनके विरूद्ध वाद प्रस्तुती से पूर्व दफा 80 (2) जा.दी. का सूचना प्रेषित करना आवश्यक है अगर वादी उक्त कानूनी कार्यवाही करता है तो लम्बा समय लग जायेगा तब तक प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी से बेदखल कर देगें इसलिये वादी की ओरसे वाद प्रस्तुती की स्वीकृति हेतु अलग से 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ पेश है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 4 आवयक पक्षकार होन`से वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। वादपत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिये निर्धारित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :–

(क) कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी जिसके वर्तमान आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर पुराने नम्बर 4132मी. है को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

(ख) यह कि प्रतिवादी संख्या 3 को इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे किवे वादपत्र की चरण संख्या एक में अंकित आराजी जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जिससे वादी को न तो स्वयं बेदखल करें ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार से बेदखल करावें।

(ग) कि दौराने वाद प्रतिवादीगण जबरन राजकीय ताकत से बल पर वादी को वाद पत्र की चरण संख्या एक में अंकित भूमि से बेदखल कर देते है तो पुनः कब्जा वादी को सिपुर्द कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदानल करायी जावें।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

(ड़) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये जबकि दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से पैरांकार सरकार तहसीलदार बेगूं उपस्थित आए एवं जबवाद दावा प्रस्तुत कर अपने जवाब दावे में निवेदन कर वाद पत्र की कलम को अस्वीकार करते हुए कुछ वाद बिन्दुओं को कानूनी होना अंकित करते हुए जवाब दावे के विशेष कथन में निवेदन . किया कि ग्राम मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी भू.अ.जमाबंदी सं0 2070 स`2075 के अनुसार आराजी संख्या 1617 रकवा 0.0700 हैक्टर भूमि शमशान भूमि है मिलान खसरा से इसके पुराने नम्बर 1432मी थे जो भी बिलानाम ही था। अतः यह भूमि सरकारी होकर शमशान की भूमि है नियमानुसार यह भ ूमि नाम पर दर्ज नहीं हो सकती है। जबाव पेश है कि वाद खारीज योग्य हैं।

दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र तैयार किया जाकर पृथक शामिल पत्रावली किया गया :–

1– आया कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी जिसके वर्तमान आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर पुराने नम्बर 1432 मी. है, वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्धप्रतिवादीगण प्राप्त कर पाने के वादी अधिकारी है? साथ ही वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी भी है कि प्रतिवादीगण वादी की काबिज एवं उपयोग उपभोग की आराजी में दखल न करें ना ही वादी को बेदखल करें न अन्य से करावें?

वादी

2– आया कि दौराने वाद प्रतिवादीगण जबरन [illegible] ताकत [illegible] पर वादी को वादपत्र की चरण संख्या एक में अंकित भूमि से बेदखल [illegible] को सिपुर्द कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष विरूद्ध [illegible] पाने के वादी अधिकारी है?

वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:21 IST
Reason: SelfAttested

4– दादारसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र गवाह हीरालाल पिता बद्रीलाल धाकड, गवाह कन्हैयॉलाल पिता बद्रीलाल धाकड, वादी भेरूलाल पिता स्व. नंदलाल धाकड के प्रस्तुत किये वादी भैरूलाल द्वारा मुख्य परीक्षण में अपने बयान कलमबद्ध करा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराये गये । एवं गवाह कन्हैयालाल एवं गवाह हीरालाल ने मुख्य परीक्षण में अपने बयान कलमबद्ध करा बयान पूर्ण किये । वक्त मुख्य परीक्षण में पुनः परीक्षण निल रहा है। वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के उपरान्त प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवकता वादी ने अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए प्रश्नगत भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर एवं शमशान भूमि ग्राम मण्डावरी में इसी आराजी में अन्य बनी हुई होने की बात करते हुए दावा वादी की स्वीकार करने का निवेदन किया गया, अधिवकता वादी की बहस कथन को ध्यान मे रखते हुए न्यायालय द्वारा वाद वर्णित भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायसंगत मानते हुए मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा गया, न्यायालय द्वारा लिखे गये पत्र कमांक /सरिश्ता/2023/148 दिनांक 04.04.2023 की पालना में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का मण्डावरी द्वारा प्रस्तुत की गई जो दिनांक 19.04.2023 को प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया , मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में शमशान भूमि के नाम दर्ज रिकोर्ड है। आराजीयात पर वर्तमान में कब्जा नंदलाल के वारिसान भैरूलाल पिता नंदलाल धाकड निवासी मण्डावरी का होना बताया गया। वर्तमान में उक्त भूमि पर रास्ते के सामने व स्पर्श होती हुई दीवार पक्की एवं बाकी तीनों दीवार पत्थर की कच्ची बनी हुई है एवं वर्तमान में भैरू का बाडा बना रखा है। उक्त आराजी नम्बर शमशान की आराजी 1651मी. रकबा 0.5910 हैक्टर से स्पर्श करतार हुआ है। प्रार्थी एवं मौतबिनानों से पूछताछ करने पर उक्त आराजी नम्बर पर नंदलाल के वारिसानों का कब्जा करीब 40 वर्ष से होना बताया गया है।

प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से अधिवक्ता वादी के कथन की सत्यता की पुष्टी होती है कि ग्राम की शमशान हेतु शमशान का निर्माण आराजी संख्या 1651मी. रकबा 0.5910 हैक्टर भूमि पर बना हुआ है ,जो वादी के कब्जे वाले बाडे की भूमि से लगा हुआ है। पत्रावली में बहस अधिवकता वादी की सुनी जाने के पश्चात एवं पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन एवं अन्य सभी दस्तावेज के अवलोकन के बाद पत्रावली में कायम तनकी पत्र के अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है। वादी ने अपने वादपत्र में नकल जमाबंदी मौजा मंडावरी सं. 2072 से 2075 तक की प्रस्तुत की है जिसे प्रदर्श–1 किया है, उक्त जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि के आराजी संख्या 1288 रकबा 0.0100 हैक्टर, आराजी संख्या 1617 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि , आराजी संख्या 1651मी: रकबा 0.5900 हैक्टर भूमि शमशान घाट की भूमि दर्ज होकर इन आराजी की भूमि को शमशान भूमि अंकित किया गया है। वाद वर्णित आराजी संख्या 1617 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि में से वादी द्वारा आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि पर काबिज होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उक्त भूमि क[illegible] में घोषित करने का निवेदन अपने वाद पत्र में किया गया है, वादी द्वारा [illegible] संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मृतक श्री घीसा[illegible] क्रय किये [illegible] का उल्लेख किया है, लेकिन इस दावा पत्रावली में वादी द्वारा इस भूमि को किस दिनांक को एवं कितनी रकम में क्रय किया गया है , इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, [illegible] ने अपने वादपत्र में अपने पक्ष में प्रस्तुत स्वतंत्र गवाह ने अपने बयानों में भूमि क्रय किये जाने की बात कही है। प्रदर्श–2 नक्शाट्रेस आराजी का प्रस्तुत किया है। प्रदर्श–3 नकल प्रभू–प्रबन्ध मिलान खसरा की नकल है जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया उक्त मिलान खसरा के अवलोकन से वाद वर्णित आराजी नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:21 IST
Reason: SelfAttested

शमशान भूमि की आवश्यकता के अनुसार शमशान भूमि के लिए भूमि को शमशान हेतु आरक्षित किये जाने के नियमानुसार प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है, सैटलमेन्ट विभाग द्वारा इस ग्राम मण्डावरी में लगातार ही आराजी संख्या 1288, 1617, 1651मी. की कुल आराजी को जो कि बिलानाम सिवायचक आराजी थी को शमशान भूमि दर्ज कर दिया गया है। वादी जिस भूमि को अपने खातेदारी में घोषित करवाना चाहते है वह एक कृषि बाडा है जो कि ग्राम मण्डावरी की शमशान भूमि की दीवार से लगा हुआ है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ठ किया है कि "मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में शमशान भूमि के नाम दर्ज रिकोर्ड है। आराजीयात पर वर्तमान में कब्जा नंदलाल के वारिसान भैरूलाल पिता नंदलाल धाकड निवासी मण्डावरी का होना बताया गया। वर्तमान में उक्त भूमि पर रास्ते के सामने व स्पर्श होती हुई दीवार पक्की एवं बाकी तीनों दीवार पत्थर की कच्ची बनी हुई है एवं वर्तमान में भैरू का बाडा बना रखा है।" दावा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा मण्डावरी सं0 2024 से 2027 में अंकित गत आराजी संख्या 557 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा आराजी संख्या 922 रकबा 2 बिस्वा आराजी संख्या 1432 रकबा 6बीघा 5 बिस्वा भूमि को शमशान भूमियां दर्ज अंकित किया हुआ है। यानि कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा भूमि को शमशान भूमि दर्ज किया हुआ है जबकि पत्रावली मे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मण्डावरी के आराजी संख्या 1651मी. रकबा 0.5910 हैक्टर भूमि पर ग्राम हेतु शमशान बनाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम मण्डावरी की आराजी संख्या 1288 रकबा 0.0100 हैक्टर, आराजी संख्या 1617 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि को किस आधार पर शमशान भूमि माना जा सकता है। यह शमशान भूमि का अंकन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ही किया गया है। पत्रावली में वादी नंदलाल के पुत्र भैरूलाल पिता नन्दलाल को उप तहसीलदार बेगूं द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम ,1956 की धारा 91 (3) एवं धारा 91(6) के तहत नोटिस दिया हुआ है। इस दावा पत्रावली में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादी नंदलाल का कब्जा विगत 40 वर्षो से इस आराजी पर होने का उल्लेख किया है साथ ही पत्रावली मे प्रस्तुत ग्राम सरपंच मण्डावरी का प्रमाण पत्र भी इस आशय का जारी किया हुआ है कि ग्रम मण्डावरी ग्राम पंचायत में भैरूलाल का पैतृक रूप से आराजी नम्बर 1617 पर कब्जा होकर भैरूलाल ही इसका उपयोग उपभोग कर रहा है। एवं ग्रम मण्डावरी की आराजी नम्बर 1617 पर शमशान भूमि नहीं बना हुआ है ग्राम मण्डावरी में शमशान भूमि अलग से है जिसके आराजी नम्बर 1651 में शमशान बना होकर टीनशेड अलग से हे। तथा भैरूलाल की भूमि पर कभी भी शमशान नहीं रहा है। एवं उक्त जगह भैरूलाल धाकड के नाम से किया जाता है तो ग्राम पंचायत मण्डावरी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार वादी के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन से एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से तथा ग्राम पंचायत सरपंच के अनापत्ति प्रमाण से यह तथ्य सामने आया है कि वक्त सेटलमेन्ट के दौरान ग्राम मण्डावरी की आराजी जो कि बिलानाम सिवाचयक भूमि थी जिसके गत नम्बर के मुकाबले नवीन नम्बर जब सेटलमेन्ट विभाग द्वारा डाले गये तो भूमि की किस्म को परिवर्तित करते हुए बिलाना सिवायचक से शमशान भूमि दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रश्नगत गत आराजी संख्या 1432मी पर धीसालाल का कब्जा था तथा उनके बाद इसके नवीन आराजी संख्या 1617 पर नंदलाल धाकड एवं उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है, यह एक कृषि बाडा है जो कि ग्राम मण्डावरी में निर्मित आराजी संख्या 1651मी रकबा 0.5900 हैक्टर की शमशान भूमि की दीवार से लगा हुआ है। चूंकि वादी एक सद्भावी कृषक है जिसे अपने कृषि उपज एवं कृषि उपकरण को रखने हेतु तथा मवेशियों के लिए एक बाडे की आवश्यकता होती है जो कि वादी द्वारा इस आराजी संख्या 1617 के रूप में इसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है, जैसा कि मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त वर्णित भूमि पर करीबन 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा वादी एवं उनके वारिस का निरन्तर चला आ रहा है, साथ ही ग्राम के सरपंच ने भी इस भूमि को वादी के पक्ष में किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है, तथा शमशान ग्राम मण्डावरी में आराजी संख्या 1651मी पर बना हुआ है, ऐसी स्थिति में नवीन भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इस आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि को शमशान की भूमि नहीं मानते हुए सिवायचक भूमि पर वादी का प्रतिकूल विगत 40 वर्षो से होने से उनके नाम खातेदारी से धोषित किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:21 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं सरपंच के [illegible] है जैसा कि तनकी नम्बर 1 के निर्णय में विस्तृत निर्णय अंकित किया हुआ है, चूंकि वाद वर्णित आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि जो कि शमशान न होकर एक बिलानाम सिवायचक भूमि है जिस पर विगत 40 वर्षो से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी एवं उनके वारिसान काबिज होकर उक्त भूमि को बाडे के रूप में उपयोग उपभोग कर रहे है यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त भूमि से अतिक्रमी मानते हुए बेदखल कर दिया जाता है तो वादी उक्त भूमि को पुनः अपने कब्जे में ले पाने एवं अपने खाते कराने के अधिकारी पाये जाते है साथ ही वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकार रखते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:21 IST
Reason: SelfAttested

3— <u>तनकी नम्बर 3 का निर्णय</u>

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी संख्या 3 का है, प्रतिवादी ने अपने जवाब में माना है कि वाद वर्णित गत आराजी संख्या 1432मी जो कि बिलानाम ही भूमि थी मिलान खसरा में इसके नवीन आराजी संख्या 1617 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि शमशान भूमि होने से यह भूमि नियमानुसार वादी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है लेकिन प्रतिवादी ने यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया है कि यह भूमि बिलानाम से शमशान भूमि किस आधार पर दर्ज की गई हे क्या इस भूमि को शमशान भूमि हेतु प्रस्तावित किया गया था या सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वक्त सेटलमेन्ट ही भूमि को बिलानाम से शमशान भूमि दर्ज कर दिया गया है यह तथ्य प्रतिवादी ने स्पष्ट नहीं किया है, जहॉ तक भूमि की किस्म का प्रश्न हे यह भूमि बिलानाम भूमि होकर इस पर पूर्व में घीसालाल का कब्जा रहा है तथा बाद में वादी नंदलाल व उनके वारिसान का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है, इस बिलानाम भूमि को शमशान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ही दर्ज किया है जो कि नियम विरूद्ध है। ग्राम मण्डावरी की आराजी संख्या 1651मी पर शमशान बना हुआ है तथा वाद वर्णित भूमि जो कि एक बाडा है जिसे कृषि कार्य हेतु वादी द्वारा कई वर्षो से अपने उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है जिसे शमशान भूमि किस आधार पर माना जा सकता है, इन सभी तथ्यों को सिद्ध करा पाने में प्रतिवादी पूर्णतया असफल रहे है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 3 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णित की जाती है।

इस प्रकार दस्तावेज साक्ष्य सबूत के आधार पर पत्रावली में कयम तनकी वादी के पक्ष में निर्णित होने से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि पर वादीगण का प्रतिकूल कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उनकी खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के उपयोग उपभोग की आराजी मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर में उनके उपयोग उपभोग में एवं उनके कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही वादीगण को बेदखल करें ।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

नंदलाल पिता बद्रीलाल जाति धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूं मृतक ...
1/1– श्रीमती एजनबाई पत्नी नन्दलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
1/2– भैरूलाल पिता नन्दलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
1/3– प्रेमबाई पुत्री नन्दलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
1/4– सुमिता पुत्री नन्दलाल धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1–सरजुबाई पत्नी घीसालाल जी जाति धाकड निवासी मंडावरी तह0 बेगूँ
2–नाराणी उर्फ नारू पुत्री घीसालाल जाति धाकड निवासी मंडावरी तह0बेगूँ
3–श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
4– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी प्रतिनिधि राजस्थान सरकार, चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

<u>निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिती में एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री पेरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88–188 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 04.1.2024 को पीठासीन अधिकारी अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार कर जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर भूमि पर वादीगण का प्रतिकूल कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उनकी खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के उपयोग उपभोग की आराजी मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 1617 रकबा 0.065 हैक्टर में उनके उपयोग उपभोग में एवं उनके कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही वादीगण को बेदखल करें ।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक :– 16.1.24.

क्रमांक/सरिश्ता/2024/37
प्रतिलिपी तहसीलदार बेगूँ को डिक्री की पालना हेतु भेजी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़